संख्या- 7/2024/।/490631/2024 /38-2-2024/002-38-2002-001-4-2022

प्रेषक,

प्रहलाद बरनवाल,

संयुक्त सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,

ग्राम्य विकास,

उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 09 फरवरी, 2024

विषय-जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के कार्मिकों को वेतन भत्ते मद में वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक-2501-ग्राम्य विकास के लिए विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त आवश्यक धनराशि की व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-03/लेखा-पेंशन/पुनर्विनियोग/2023-24 दिनांक 05.01.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-03-मुख्य अधिष्ठान (ब्लाक बजट)-00-01-वेतन से अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2501- ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम-01-समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-04-जिला ग्राम्य विकास अभिकरण प्रशासन-31-सहायता अनुदान- सामान्य (वेतन) मद में धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृति किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2501-ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम-01-समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-04-जिला ग्राम्य विकास अभिकरण प्रशासन-31- सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में धनराशि रू0 700.00 (रू0 सात करोड मात्र) का पुनर्विनियोग किये जाने की निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

<u>नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों</u>

(1) बचत की मद में पुनः धनराशि की मांग नही की जायेगी।

(2) प्रश्नगत धनराशि का आवंटन, किसी प्रकार के व्यय का प्राधिकार नही देता। धनराशि के आहरण से पूर्व उसके भुगतान की अनुमन्यता/पुष्टि आदि को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ का होगा।

(3) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(4) योजनान्तर्गत प्रश्नगत धनराशि के उपयोग में द्विरावृत्ति न हो तथा आंकड़ो की शुद्धता सुनिश्चित किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ का होगा।

(5) प्रकरण में अपेक्षित अन्य प्रशासनिक शर्तों के समावेश/निर्धारण का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ का होगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-27/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 व अन्य संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये रू0 7,00,00,000 (रू0 सात करोड मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक-2501018000400 जिला ग्राम्य विकास अभिकरण प्रशासन मानक मद-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-27/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

प्रहलाद बरनवाल

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-7 /2024/।/490631/2024 /38-2-2024/002-38-2002-001-4-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- श्री राजेन्द्र राम, उप सचिव/नोडल अधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- अपर आयुक्त (वित्त) ग्राम्य विकास, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5- समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
6- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/राज्य योजना आयोग-1/2 तथा नियोजन अनुभाग-3
9- ग्राम्य विकास अनु0-3 ।
10- गार्ड बुक ।

आज्ञा से,
प्रहलाद बरनवाल
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A038-20232024-38-2002-001-4-2022

विषय:-जिला ग्राम्य विकास अभिकरण प्रशासन योजनान्तर्गत कार्मिकों के वेतन भत्ते के भुगतान हेतु धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
013	2515001020300 (मुख्य अधिष्ठान)	01 (वेतन)	6,85,78,25,000 रुपये छह अरब पचासी करोड़ अठहत्तर लाख पच्चीस हजार मात्र	7,00,00,000 रुपये सात करोड़ मात्र	-7,00,00,000 रुपये सात करोड़ मात्र	6,78,78,25,000	2023-2024

निम्नलिखित निधियों मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
013	2501018000400 (जिला ग्राम्य विकास अभिकरण प्रशासन)	31 (सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन))	64,50,00,000 रुपये चौंसठ करोड़ पचास लाख मात्र	7,00,00,000 रुपये सात करोड़ मात्र	71,50,00,000	2023-2024

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

1- 03 मुख्य अधिष्ठान (ब्लाक बजट) के मानक मद 01- वेतन में धनराशि रु0 700.00 लाख की वर्तमान वित्तीय वर्ष में आवश्यकता न होने के कारण बचत उपलब्ध है।

2- 04-जिला ग्राम्य विकास अभिकरण प्रशासन के मानक मद 31- सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) के अन्तर्गत पर्याप्त बजट व्यवस्था उपलब्ध न होने के कारण धनराशि रु0 700.00 लाख की अपरिहार्य आवश्यकता है।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग मे उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर- 150,151,154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

बजट-I-364 30

संख्या: आर ई-< > -2023-24, दिनाक- जनवरी, 2024

सेवा में,

महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0 प्र0, प्रयागराज।

(प्रह्लाद धरनवाल)
संयुक्त सचिव
Digitally Signed by प्रह्लाद
Date: 10-01-2024 16:21:52
Reason: Approved

(रमेश चन्द्र तिवारी)
अप्र सचिव
Digitally Signed by रमेश चन्द्र तिवारी
Date: 24-01-2024 18:15:13
Reason: Approved